

हुक्म

29/1/28

पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता अनुपस्थित।
न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक पृथक समय में तीन
बार वादी मय अधिवक्ता को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन
वादी मय अधिवक्ता के उपस्थित नही होने के कारण वादी
का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता
है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा